UPBJ010054162026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1976/2026

ब्रहमपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार

आवेदक की ओर से श्री मनोज कुमार, एडवोकेट,

राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–24–06–2026

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **ब्रहमपाल** पुत्र छोटे व **कविता देवी** पत्नी टीकम सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों व केस डायरी का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, धारा–126(2),132,190,191(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उपरोक्त मामले में गलत व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखायी गयी है। सोनू कुमार के पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना पाकर प्रार्थीगण घटनास्थल पर पहुंचे थे। प्रार्थीगण द्वारा कोई जाम नेशनल हाईवे पर नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी उ0नि0अन्नू कुमारी द्वारा दिनांक 12–05–2026 को समय 22:40 बजे अभियुक्तगण विक्की व 16 अन्य के विरूद्ध तहरीर दी गयी, जिसके आधार पर धारा–126(2),132,190,191(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा–7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूति हेतु दिनांक 12.05.2026 को एक्सीडेंट की घटना में सुखवीर सिंह की मृत्यु को लेकर अपनी अनुचित मांगों को मनवाने को लेकर बलवा करते हुये नेशनल हाईवे पर चारों तरफ रास्ता रोककर सदोष अवरोध करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा अधिकतम दो वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण द्वारा की गयी कथित घटना से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट आना नहीं बताया गया है तथा न ही कोई चिकित्सीय आख्या केस डायरी पर दाखिल है। अभियुक्त को धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर थाने से जमानत पर होना बताया गया है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि 2022(3) क्राइम्स 290 (एस0सी0)** में दिये गये विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को **पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये** के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्तगण आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेंगे।

2– अभियुक्तगण मामले से संबंधित किसी भी साक्षी को डरायेंगे व धमकायेंगे नहीं।

3– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

5– अभियुक्तगण न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, बयान धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित न्यायालय/विवेचक अभियुक्तगण को दी गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

दिनांक–24.06.2026

(लोकेश नागर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.06.24 16:36:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court